प्रथम अपीलीय अधिकारी/निदेशक,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंन्त्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर–208 017

Regd AD

विषयः– सूचना का अधिकार अधि0 के अर्न्तगत प्रथम विभागीय अपील ।

महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत अपने आवेदन दिनांक 04 मई,2015 के द्वारा सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । आवेदन की छाया प्रति महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक–1 पर प्रस्तुत है ।

प्रार्थी के उक्त आवेदन के उत्तर में लोक सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 05–06–2015 में सी0आई0सी0, नई दिल्ली के एक निर्णय दिनांक 21–01–2015 का उल्लेख करते हुये मैरे द्वारा वांछित सूचनाओं को तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण दिये जाने से इन्कार कर दिया है जबकि ये सूचना/अभिलेख जनहित के साथ--साथ मैरे भविष्य से सम्बन्धित होने के कारण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत दिये गये आवेदनपत्र दिनांक 04–05–2015 में उल्लिखित 11 अभ्यर्थियों के साथ मैंने भी परीक्षा दी थी । मैरे द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रतियॉं आपके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधि0 के अर्न्तगत प्राप्त की गयी, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि मुझे दिये जाने वाले अंको का योग सही नहीं था, इसके अतिरिक्त मैरे द्वारा कुछ प्रश्नों के सही उत्तर दिये गये, लेकिन अंक शून्य दिये गये एवं कुछ प्रश्नों के उत्तर सही होने पर भी पूर्ण अंक नहीं दिये गये । इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उन्हें अनुचित लाभ दिया गया है और यह भी हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, उनके साथ भी अन्याय हुआ है इन वास्तविक परिस्थितियों के दृष्टिगत जब तक इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाऐं आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, तब तक तुलनात्मक अध्ययन करना सम्भव नहीं हो पायेगा । इस प्रकार मैरे द्वारा मॉंगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित न होकर जनहित एवं ~~मैरे~~ मैरे भविष्य से जुड़ी हुई हैं ।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये प्रार्थी की प्रथम अपील स्वीकार कर वांछित अभिलेख/सूचना दिलाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

प्रार्थी

(आशुतोष अस्थाना)
द्वारा अभय स्वरूप
अधिवक्ता, संजय कालोनी,
वार्ड नं0–7, बाजपुर
जनपद–उधम सिंह नगर
(उत्तराखण्ड)

567
06/7/15

RTI MATTER/SPEED POST

सं. 25(52)/2015/RTI/2

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO 9001-- 2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन: 0512-2570542, 543
फैक्स: 0512-2570247
ई-मेल: nsikanpur@nic.in

दि. ~~19.08~~.2015
27/8/15

जारी
संख्या 373
दिनांक 27/8/15

सेवा में,

श्री आशुतोष अस्थाना,
द्वारा श्री अभय स्वरूप,
अधिवक्ता, संजय कॉलोनी, वार्ड नं.-7, बाजपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर (उत्तराखंड)

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांकित 28-06-2015 के सन्दर्भ में पत्र दिनांकित 29-07-2015 द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर दी गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।

आपको यह भी सूचित किया जाता कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर-208017

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(नरेन्द्र मोहन)

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी